



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052020-219500  
CG-DL-E-21052020-219500

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]  
No. 127]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2020/वैशाख 31, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2020/VAISAKHA 31, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

प्रकरण संख्या: एडीडी- (ओ आई) 09/2020

विषय: चीन जन.गण., इंडोनेशिया, नेपाल और वियतनाम से पॉलिस्टर यार्न (पॉलिस्टर स्पन यार्न) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/10/2020-डीजीटीआर.—1. आठ आवेदकों (जिन्हें यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) द्वारा संयुक्त रूप से समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें चीन जन.गण., इंडोनेशिया, नेपाल तथा वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से पालिस्टर यार्न (पॉलिस्टर स्पन यार्न) (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” या “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के लिए अनुरोध किया गया है। निम्नलिखित 8 आवेदक हैं:-

- i. मै. आभास स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड;
  - ii. मै. अरिसुडाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड;
  - iii. मै. जानवी स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड;
  - iv. मै. कृष्ण गंगा स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड;
  - v. मै. श्री नगानी सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड;
  - vi. मै. सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड;
  - vii. मै. सूर्यलता स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड; और
  - viii. मै. सूर्योदय स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड ।
2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति हो रही है और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है ।

#### विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) पॉलिस्टर का सिंगल यार्न है जिसमें पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर के भार के अनुसार 97 प्रतिशत या उससे अधिक मात्रा होती है, जिसे आम तौर पर 'पॉलिस्टर स्पन यार्न' कहा जाता है । बाजार शब्दावली में इस उत्पाद को स्पन यार्न यार्न, स्पन पॉली के रूप में भी जाना जाता है । आवेदकों ने निम्नलिखित को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है ।
- i. डाइड पालिस्टर यार्न, मेलांगे पालिस्टर यार्न या कलर्ड पालिस्टर यार्न, और
  - ii. 8एस काउंट से अधिक कोसर या 45एस काउंट से अधिक फाइन यार्न
4. संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग परिधान और घरेलू सजावट के लिए कपड़े बनाने हेतु बुनाई और कड़ाई में होता है ।
5. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क वर्गीकरण 55092100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

#### समान वस्तु

6. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही सबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है । पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है । ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए । अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

#### विचाराधीन उत्पाद (पीसीएन)

7. पीयूसी की लागत और कीमतें काउंट में अंतर के कारण या पुनःचक्रित या वर्जिन कच्ची सामग्री के प्रयोग के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है, इसलिए आवेदकों ने पीसीएन के आधार पर विश्लेषण का प्रस्ताव किया है । हितबद्ध पक्षकार के टिप्पणियों की प्राप्ति तक, प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावित पीसीएन प्रणाली स्वीकार किया है ।

पीसीएन पद्धति		
विशेषताएं	प्रारूप	स्पष्टीकरण
काउंट	XX	उत्पाद का काउंट 8 से 45 के बीच हो सकता है।
प्रयुक्त कच्ची सामग्री	X	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की प्रकृति: आर: पुनःचक्रित वी: वर्जिन

8. हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के अनुसार प्रस्तावित पीसीएन प्रणाली की उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में अपने अनुरोध कर सकते हैं। निर्णायक पीसीएन प्रणाली हितबद्ध पक्षकार के टिप्पणियों की प्राप्ति और उस की परीक्षा के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

#### घरेलू उद्योग

9. आवेदन उपर्युक्त पैरा 1 में यथाउल्लिखित 8 आवेदकों द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं। आवेदकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

#### सामान्य मूल्य

##### चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

10. चीन जन.गण. के लिए आवेदकों ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में पीयूसी के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदकों द्वारा यह बताया गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागतें और कीमत सूचना बाजार चालित हैं तो सामान्य मूल्य को अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने यह दावा करते हुए एक प्रतिनिधि देश, तुर्की से निर्यातों के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। तथापि, तुर्की की प्रतिनिधि तीसरे देश के रूप में उपयुक्तता की विस्तृत जांच होने तक चीन के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन भारत में सर्वाधिक कुशल घरेलू उद्योग के घटक की उत्पादन लागत तथा उसकी बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के आधार पर किया गया है।

##### इंडोनेशिया, नेपाल तथा वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

11. इंडोनेशिया, नेपाल तथा वियतनाम के लिए भी सामान्य मूल्य का परिकलन सर्वाधिक कुशल घरेलू उद्योग की लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय सहित विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर भारत में उत्पादन लागत के अनुसार किया गया है क्योंकि न तो निर्यातक देशों में संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत के ब्यौरे आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और न ही किसी उचित तीसरे देश का सुझाव दिया गया है।

##### निर्यात कीमत

12. संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तु के निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय माल भाड़ा व्यय के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

**पाटन मार्जिन**

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से पीयूसी के संबंध में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से पी यू सी का पाटन किया जा रहा है।

**क्षति और कारणात्मक संबंध**

14. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदकों ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा और कीमत ह्रास के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि उनका कार्य निष्पादन लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ के संबंध में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है जिसका कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि होना है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

**पाटनरोधी जांच की शुरूआत**

15. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए, जांच की शुरूआत करते हैं।

**संबद्ध देश**

16. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण., इंडोनेशिया, नेपाल और वियतनाम हैं।

**जांच की अवधि (पीओआई)**

17. आवेदकों ने 1 अप्रैल, 2018 से 30 सितंबर, 2019 (18 महीने) की जांच अवधि का प्रस्ताव किया है।  
18. तथापि, जांच अवधि के संबंध में संशोधित नियम 22 (3) के स्पष्टीकरण में निम्नानुसार बताया गया है :

*इन नियमों के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि- (i) जांच की शुरूआत की तारीख की स्थिति के अनुसार 6 महीने से अधिक नहीं विगत नहीं होगी, (ii) 12 महीने की अवधि के लिए होगी और जिसके कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाएंगे कि निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम छह महीने की या अधिकतम अट्ठारह महीने की अवधि पर विचार कर सकते हैं।”*

19. नियमावली में उपर्युक्त प्रावधान के मद्देनजर वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि (पीओआई) 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर 2019 (12 महीने) की है और क्षति अवधि में अप्रैल 2016-मार्च, 2017, अप्रैल, 2017-मार्च, 2018, अप्रैल, 2018-मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी।

**प्रक्रिया**

20. नियमावली के नियम में यथा-प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

**सूचना प्रस्तुत करना**

21. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in) तथा [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
22. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**समय-सीमा**

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in) तथा [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना

- का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

### असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21<sup>st</sup> May, 2020

Case No. ADD-(OI)-09/2020

**Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “Polyester Yarn (Polyester Spun Yarn)” from China PR, Indonesia, Nepal and Vietnam.**

**F.No. 6/10/2020-DGTR.—1.** An application was jointly filed by 8 Applicants (hereinafter referred to as the “Applicants”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), for anti-dumping investigation concerning imports of “Polyester Yarn (Polyester Spun Yarn)” (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”) from China PR, Indonesia, Nepal and Vietnam (hereinafter also referred to as the “subject countries”). The following are the 8 Applicants:

- i. M/s. Aabhas Spinners Private Limited;
- ii. M/s. Arisudana Industries Limited;
- iii. M/s. Jaanvi Spinners Private Limited;
- iv. M/s. Krishna Ganga Spinning Mills Private Limited;
- v. M/s. Shree Nagani Silk Mills Private Limited;
- vi. M/s. Suryalakshmi Cottom Mills Limited;
- vii. M/s. Suryalata Spinning Mills Limited; and
- viii. M/s. Suryaoday Spinning Mills Private Limited.

2. The Applicants have alleged dumping of subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry, and have requested for imposition of anti-dumping duties on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

### **Product under Consideration**

3. The product under consideration (PUC) is single yarn of polyester containing 97% or more by weight of polyester staple fibres, commonly referred to as 'Polyester Spun Yarn'. In market parlance, the product is also known as Spun Yarn, Spun Poly. The Applicants have requested for exclusion of the following from the scope of the PUC:

- i. Dyed polyester yarn, melange polyester yarn or coloured polyester yarn; and  
ii. Yarns coarser than 8s counts or finer than 45s counts.

4. The subject goods are used for knitting and weaving to make fabrics for garments and home furnishing.
5. The subject goods are classified under the tariff custom classification 55092100. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

### **Like Article**

6. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped PUC and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

### **Product Control Number (PCN)**

7. Since the cost and prices of the PUC may vary on account of differences in count, or based on whether the raw material used is recycled or virgin, the Applicants have proposed PCN methodology. Pending receipt of comments from the interested parties, the Authority has prima facie accepted the PCN methodology proposed as under by the Applicants:

<b>PCN Methodology</b>		
<b>Characteristics</b>	<b>Format</b>	<b>Explanation</b>
Count	XX	Count of the product may range from 8 to 45
Raw material used	X	The nature of raw materials used: R: recycled V: virgin

8. The interested parties may make their submissions with regard to appropriateness or otherwise of the proposed PCN system as per the timeline mentioned in this notification. The final PCN methodology will be notified on receipt of comments from interested parties and examination of the same by the Authority.

### **Domestic Industry**

9. The Application has been filed by 8 Applicants, as mentioned in Para 1 above. The Applicants have claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the subject goods in India. The Applicants accounts for major proportion of domestic production in India. On the basis of the information on record, the Authority notes that the Applicants constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and the application fulfills the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

### **Normal Value**

#### **Normal Value for China**

10. For China PR, the Applicants have cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The Applicants have claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the PUC. It has been stated by the Applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 Annexure – I. The Applicants have claimed the normal value

for China PR based on the exports from appropriate third country, Turkey. However, pending detailed examination of suitability of Turkey as the appropriate third country, the normal value for China has been constructed on the basis of cost of production in India, of the most efficient constituent of DI and its selling, general and administrative expenses.

#### **Normal Value for Indonesia, Nepal and Vietnam**

11. The Applicants have stated that normal value for Indonesia, Nepal and Vietnam could not be determined based on domestic selling price for want of public information. They have also not suggested any appropriate third country for determination of normal value. Accordingly, normal values for these countries have also been constructed on the basis of cost of production in India, based on the most efficient DI cost duly adjusted with selling, general and administrative expenses.

#### **Export Price**

12. The export price for subject goods for the subject countries has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and inland freight expenses.

#### **Dumping Margin**

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin above the *de-minimis* in respect of the PUC from the subject countries. There is prima facie evidence that the PUC from subject countries is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

#### **Injury and Causal Link**

14. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, and price suppression. The Applicants have claimed that their performance has been adversely impacted in respect of profits, return on capital employed, and cash profit, as a result of increase in imports of subject goods at a price below the selling price and non-injurious price of the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of injury being suffered by domestic industry caused by dumped imports from subject countries.

#### **Initiation of Anti-dumping investigation**

15. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.

#### **Subject Countries**

16. The subject countries for the present investigation are China PR, Indonesia, Nepal and Vietnam.

#### **Period of investigation**

17. The Applicants have proposed the period of investigation from 1<sup>st</sup> April, 2018 to 30<sup>th</sup> September, 2019 (18 months).
18. However, the explanation to amended Rule 22(3) with regard to the period of investigation states as under:

*For the purposes of these rules, the period of investigation shall, - (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation. (ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months."*

19. **In view of the above provision in the Rules, the period of investigation (POI) adopted by the Authority for the**



present investigation is 1<sup>st</sup> January 2019 to 31<sup>st</sup> December 2019 (12 months) and the injury period will cover the periods April 2016- March 2017, April 2017-March 2018, April 2018- March 2019 and the POI.

### **Procedure**

20. Principles as given in Rule of the Rules will be followed for the present investigation.

### **Submission of Information**

21. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in) and [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in).
22. The known producers/exporters in the subject countries, their Governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties

### **Time Limit**

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in) and [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in) within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

### **Submission of information on confidential basis**

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
29. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

35. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

**Non-cooperation**

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority